प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय और अन्य

बनाम

सौरभ चौधरी और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 6487)

5 नवंबर, 2008

(आर.वी. रवींद्रन और अफताब आलम, न्यायमूर्तिगण,)

शिक्षा - प्रवेश - केंद्रीय विद्यालय में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए गणित के साथ विज्ञान केवल एक संकाय उपलब्ध है- दसवीं कक्षा की सी. बी. एस. ई. परीक्षा में आवश्यक कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करने के कारण उक्त संकाय में ग्यारहवीं कक्षा में अपने ही छात्र को प्रवेश देने से वंचित करना। दूसरे में प्रवेश की पेशकश केंद्रीय विद्यालय का औचित्य माना गया; उचित नहीं- विद्यालय दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर उपयुक्त संकाय के चयन के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर सकता है, जहां एक से अधिक संकाय हैं, हालाँकि, असफल होने पर छात्र को विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाता है कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफलता अन्यायपूर्ण है- स्कूल को निर्धारित कट ऑफ अंकों के आधार पर उसके लिए उपयुक्त स्ट्रीम/पाठ्यक्रम देना चाहिए -तथ्यों के आधार पर, उक्त स्कूल में गणित के साथ केवल विज्ञान संकाय उपलब्ध है- इस प्रकार, छात्र को ग्यारहवीं कक्षा में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए।

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश संगठन द्वारा बनाए गए 'विनियमन' और 'दिशानिर्देशों' द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 ए. एफ. एस. में, कक्षा 11 और 12 में केवल गणित के साथ विज्ञान विषय पढ़ाया जाता था। उत्तरदाता ने दसवीं कक्षा की परीक्षा पास की वह केंद्रीय विद्यालय संख्या 2, एएफएस स्कूल में विज्ञान स्ट्रीम में ग्यारहवीं कक्षा में बने रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि उनके दसवीं कक्षा के अंक ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित कट ऑफ से कम थे। उत्तरदाता को एक अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कहा गया, जिससे पीड़ित होकर प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। पायल के मामले को आधार मानते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल प्रतिबंधित है एक छात्र को अस्वीकार करने से क्योंकि वह न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रह। ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 को विज्ञान स्ट्रीम में कक्षा 11 में प्रवेश देने का निर्देश दिया। जिस पर यह वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया गया -

1.1. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शहर के एक अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश काफी हद तक छात्र को जारी रखने की अनुमति देने के समान है जिस स्कूल से उन्होंने उच्च कक्षा उत्तीर्ण की थी। वह विद्यालय जहाँ से छात्र दसवीं कक्षा की सी.बी.एस.ई. परीक्षा में उपस्थित

हुआ और उत्तीर्ण हुआ और उसी शहर के किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का प्रस्ताव से स्थिति नहीं बदलेगी। एक छोटे से शहर में जहां केवल एक केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, यह व्यवस्था बिल्कुल भी काम नहीं करती है। इसके अलावा, चेन्नई में एक और केंद्रीय विद्यालय एक युवा लड़के या लड़की के लिए लगभग उतना ही अनजान होगा जो किसी भी अन्य विद्यालय की तरह होता है। उसके पास वहाँ परिचित परिवेश, ज्ञात शिक्षक और उसके दोस्त और सहपाठी नहीं होंगे। इसके अलावा, संगठन द्वारा बनाए गए प्रवेश दिशानिर्देश भी स्कूल के बीच के अंतर को मान्यता देते हैं जहाँ से छात्र ने दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण की और अन्य केंद्रीय विद्यालयों के बीच के अंतर को मान्यता दी गयी है। इसलिए, उसी शहर के एक अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का प्रस्ताव प्रासंगिक नहीं है। [पैरा 8] [444-सी-जी]

1.2. इस दलील को स्वीकार करते हुए कि प्रिंसिपल कैम्ब्रिज स्कूल बनाम पायल गुप्ता के मामले में तथ्य लागू नहीं क्योंकि कोई आवेदन नहीं है क्योंकि वह दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के प्रावधानों पर आधारित था। जिससे और अत्यधिक विसंगत स्थिति पैदा हो जायेगीं। दिल्ली में एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल ग्यारहवीं कक्षा में सभी को समायोजित करने उनके अंकों के प्रतिशत की परवाह किए बिना के लिए बाध्य लेकिन एक दिल्ली का स्कूल दसवीं सीबीएसई उत्तीर्ण करने वाले अपने कुछ छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने के इस आधार पर स्वतंत्र होगा कि परीक्षा में

प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहे। यह कहना कि पायल गुप्ता का निर्णय केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, माने जाने योग्य नहीं हैं। यह सच है कि पायल गुप्ता का मामला दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के प्रावधानों के तहत था, लेकिन उसमें कई टिप्पणीयाँ व निष्कर्ष सामान्य अनुप्रयोग के थे। पायल गुप्ता मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि एक कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अगली कक्षा में जाना एक नए ओर पुनः प्रवेश की स् थिति नहीं दिखाता है जब की परीक्षा आंतरिक अथवा सामान्य रूप से हुई हो जिसमें ये देखा गया है की यह कठिन है की किस प्रकार अपीलांट ने इस न्यायालय के पायल गुप्ता के मामले में निर्णय की पालना नहीं की।

[पैरा 9, 10 और 12] [444-एच; 445-ए-डी; 446-जी, एच; 447-डी]

1.3. "केंद्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता" को अनुच्छेद के रूप में तैयार किया गया है, जो प्रत्येक अनुच्छेद एक अलग मामले से संबंधित है। अध्याय 9 में अनुच्छेद 93 प्रवेश दिशानिर्देशों को निर्धारित करता है। 2004 के दिशानिर्देशों में प्रासंगिक प्रावधान अनुच्छेद 93 के तहत पैराग्राफ 4 (एफ) में निहित हैं। इन प्रावधानों को 2007 दिशानिर्देश से अतिलंघाित कर दिया गया। वर्तमान के दिशानिर्देशों में अंकों का कट ऑफ स्तर अपरिवर्तित रखा गया हैं लेकिन दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के पक्ष में एक स्पष्ट प्राथमिकता दी गई है। [पैरा 14] [449-ई-जी]

1.4. 2004 के प्रावधानों और 2007 के दिशानिर्देशों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल के अपने छात्रों के पक्ष में वरीयता जो पहले मानी जा सकती थी, अब प्रदान की गई है। तत्काल मामले में, स्कूल को प्रवेश से अपने ही छात्रों का इस आधार पर कि वे दसवीं कक्षा के सीबीएसई जाँच में कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहे इनकार करने से रोका जावे। [पैरा 15] [450-डी, ई]

1.5. इस संबंध में किसी को आपति न हो कि विद्यालय को उपयुक्त स्ट्रीम के चयन के लिए कट ऑफ अंक/योग्यता को वरीयता न दे जबकि उसीविद्यालय में एक से अधिक है। एक छात्र को स्कूल से बाहर निकालना अन्यायपूर्ण होगा जबकि वह दसवीं कक्षा में कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो। आखिरकार स्कूल को अपने छात्र के खराब प्रदर्शन के लिए कम से कम कुछ जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए और उसे अगली उच्च श्रेणी में बेहतर करने की कोशिश करने में मदद करनी चाहिए। स्कूल को निश्चित रूप से उसे वह धारा/पाठ्यक्रम देना चाहए जो निर्धारित कट ऑफ अंकों के आधार पर उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत हो सकता है।

[पैरा 16] [450 एफ-एच]

1.6. हस्तगत प्रकरण में, अपीलकर्ताओं के लिए आवेदक को प्रवेश देने की पेशकश करना पूरी तरह से खुला होना चाहिए अंकों के निर्धारित कट ऑफ स्तरों के आधार पर गणित के साथ विज्ञान के अलावा अन्य

पाठ्यक्रमों में ग्यारहवीं कक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम उपलब्ध केंद्रीय विद्यालय संख्या 2, एएफएस, तांबरम में उपलब्ध थे। लेकिन इस स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा के लिए विज्ञान में गणित के साथ ही पाठ्यक्रम उपलब्ध था। पायल में निर्णय स्कूल में एक छात्र को प्रवेश न देना क्योंकि वह कट ऑफ प्राप्त करने में विफल रहा, केवल प्रवेश के लिए अंकों का स्तर पर ही नहीं देखा जाना था। इसके परिणामस्वरूप आवेदक केंद्रीय विद्यालय संख्या 2, एएफएस, तांबरम में गणित के साथ विज्ञान स्ट्रीम में की 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए था। हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला सही था, तथा हस्तक्षेप की आवशयता नहीं थी। [पैरा 17 और 18] [451-ए-डी]

*प्राचार्य, कैम्ब्रिज स्कूल बनाम पायल गुप्ता, [1995] 5 एससीसी 512, इस मामलें में लागू होता है।

राहुल कुमार कश्यप (दास) बनाम भारत संघ और अन्य, (2001) इंडलॉ गवर्नर 112; माहेश्वरी महापात्रा और अन्य बनाम महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्य, (2005) इंडलॉ ओआरआई 25 और एम. आई. हुसैन बनाम एन.सिंह और अन्य। 2005 इंडलॉ डेल 1120, को खारिज किया जाता है।

देबाशीष के. गुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआइआर (1999) कलकता 300 और डी. अरविंद बनाम तमिलनाडु राज्य, (2007) एम.एल.जे. 400, को संदर्भित किया जाता है।

मामला कानून संदर्भः

1995(5) एससीसी 512	**लागू माना गया**	**पैराग्राफ 18**
एआईआर 1999 कल.300	**संदर्भ लिया गया**	**पैराग्राफ 3**
2007(4)एम.एल.जे. 400	**संदर्भ लिया गया**	**पैराग्राफ 3**
2001 इंड.लॉ गुवा. 112	**खारिज**	**पैराग्राफ 18**
2001 इंड.लॉ उडीसा. 25	**खारिज**	**पैराग्राफ 18**
2001 इंड.लॉ दिल्ली 1120	**खारिज**	**पैराग्राफ 18**

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 6487/2008।

मद्रास उच्च न्यायालय 2007 के डब्ल्यू.पी. संख्या 22472 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.8.2007 से।

पी.एस. पटवालिया देवेश त्रिपाठी, अमनप्रीत सिंह राही, तुषार बख्शी, प्रितपाल सिंच निज्जर, जय रमन और एस. राजप्पा अपीलार्थियों के लिए।

दयान कृष्णन, गौतम नारायण, निखिल नय्यर, नीलम शर्मा और तारा चंद्र उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय आफताब आलम, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

1. उपस्थित पक्षों के वकीलों को सुना गया।

2. अनुमति दी गई।

3. यह अपील प्रवेश के बारे में एक विवाद से उत्पन्न होती है कि ग्यारहवीं कक्षा तक के एक लड़के का जिसने केंद्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित

दसवीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। स्कूल ने उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया क्योंकि विद्यालय के लिए प्रवेश दिशानिर्देशों में 12 से उसका कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित कट ऑफ से कम थे। छात्र के पिता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर इस मामले को मद्रास उच्च न्यायालय में उठाया गया। छात्र के दावे के समथन में इस न्यायालाय के प्रिंसिपल, कैम्ब्रिज स्कूल बनाम पायल गुप्ता, [1995] 5 एससीसी 512, देबाशीष कृष्ण गुप्ता बनाम पश्चिम राज्य बंगाल, एआईआर 1999 कैल. 300 और डी. अरविंद बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 4 एम.एल.जे. 400। में मद्रास उच्च न्यायालय को आधार बनाया गया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने छात्र के दावे और फैसले को बरकरार रखा और 16 अगस्त, '07 के आदेश से उस स्कूल को निर्देश दिया जहाँ से उन्होंने दसवीं कक्षा की सी. बी. एस. ई. परीक्षा उत्तीर्ण की थी कि उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाए। यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई है।

4. प्रासंगिक तथ्यों इस प्रकार है, सौरभ चौधरी, छात्र जो पहले केंद्रीय विद्यालय (केंद्रीय विद्यालय), सी.एल.आर. 1 का आठवीं कक्षा तक का छात्र था। इसके बाद, वह केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 (केंद्रीय विद्यालय संख्या 2) में चला गया। क्योंकि उनके पिता ने अपना निवास तिरुवनमियूर से मेदवक्कम में स्थानांतरित कर दिया था। उसने केंद्रीय विद्यालय संख्या 2, एएफएस से दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा, ताम्बरम से पास की थी।

छात्र एक खिलाड़ी है और कहा जाता है कि उसने क्रिकेट में एक ट्रॉफी और एथलेटिक्स में पांच स्वर्ण और छह रजत पदक जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य से पढाई में वह अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रह। दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में उसके अंक वर्तमान मानकों से अच्छे नहीं थे। उनके अंक इस प्रकार थेः

"अंग्रेज़ी	-	80/100
हिंदी	-	70/100
गणित	-	39/100
विज्ञान	-	46/100
सामाजिक विज्ञान	-	50/100"

हालाँकि, वह बिना किसी कठिनाई के सी. बी. एस. ई. परीक्षा में पास घोषित कर दिया गया, जिसमें 33 प्रतिशत थे। वह उस स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ना जारी रखना चाहते था जिसमें गणित, गणित के साथ विज्ञान की पढाइ शामिल है लेकिन प्रवेश से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसके दसवीं कक्षा के अंक प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों में केंद्रीय विद्यालयों में उन विषयों में ग्यारहवीं कक्षा के लिए निर्धारित कट ऑफ से कम थे।

5. अब स्कूल के तथ्यों को देखे तो, सेंट्रल स्कूल नंबर 2, एएफएस, तांबरन केंद्रीय विद्यालय की ओर से संचालित एक बडा स्कूल है। केंद्रीय

विद्यालय संगठन मानव विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकत संस्थान है। सभी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बनाए नियम व दिशा निदेर्श से प्रशासित होते है। यह उल्लेखानीय है कि केंद्रीय विद्यालय नं. 2 एएफएस, तांब्रम, में विज्ञान में गणित ही केवल कक्षा 11 व 12 में पढाई जाती थी। लेकिन चैन्नइ में ही कई अन्य स्कूल जो विज्ञान में गणित के अलावा वाणिज्य व मानव संसाधन भी पढा रहे है। यह उल्लेखानीय है कि छात्र केन्द्रीय स्कूल तांबरम में प्रवेश से वंचित किया गया और अन्य केन्द्रीय स्कूल में उसके कक्षा दस के अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु उसे कहा गया।

6. श्री पटवालिया ने अपीलांट की ओर से हाजिर होते हुए कहा कि तीन न्यायाधीशों की बैंच के द्वारा प्राचार्य कैंबिर्ज बनाम पायल गुप्ता के मामले में दिया गया निर्णय इस मामले में लागु नहीं होता है, और उच्च न्यायालय ने उस मामले के आधार पर प्रतिवादी के दावा को सही माना, जो गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पायल गुप्ता के मामले में दिल्ली में एक निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी एक परिपत्र, जिसमें स्कूल से दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए कट आफ अंक तय किए गए थे, विचाराधीन था। स्कूल की ओर से सर्कुलर का बचाव यह कहते हुए किया गया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत बनाए गए दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 के नियम 145 ने मान्यता प्राप्त गैर

सहायता प्राप्त स्कूल के प्रमुख को स्कूल में प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति और अधिकार दिया है या स्कूल की किसी भी कक्षा के लिए और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए परिपत्र जारी किया गया था। प्रासंगिक प्रावधानों (दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 के नियम 138, 144 और 145) की जांच करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के पास सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र द्वारा उसी विद्यालय में उच्च कक्षा की आगे की पढाई जारी रखने के लिए अंकों का कट–आफ स्तर निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि "पायल" के वाद में संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी परिपत्र को अमान्य माना गया क्योंकि इसके पीछे कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, लेकिन मामला एक केंद्रीय विद्यालय से संबंधित था जहां प्रवेश संगठन द्वारा बनाए गए 'विनियमों' और 'दिशानिर्देशों' द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। उनके अनुसार, यह पायल के वाद और हस्तगत मामले के बीच भौतिक अंतर था। श्री पटवालिया ने संगठन द्वारा ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश हमारे सामने रखे और तीन उच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिसमें "पायल" और केंद्रीय विद्यालयों से उत्पन्न होने वाले इसी तरह के मामलों में निर्णय और कार्रवाई के बीच अंतर किया गया था। केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों द्वारा उसी केंद्रीय विद्यालय से दसवीं कक्षा की सी.बी.एस.ई. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एक छात्र को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश देने से इनकार करने को उन

दिशानिर्देशों के आधार पर बरकरार रखा गया। श्री पटवालिया ने राहुल कुमार कश्यप (दास) बनाम भारत संघ और अन्य, 2001 इंडलॉ गुवाहाटी 112, माहेश्वरी में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ के एकल न्यायाधीश के फैसले तथा महापात्रा और अन्य बनाम महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्य 2005 इंडलॉ ओडिशा 25 और एम. आई. हुसैन बनाम एन. सिंह और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले में, 2005 इंडलॉ डेल 1120 के मामले में के निर्णयों पर भरोसा किया।

7. श्री पटवालिया के अनुसार, पायल और हस्तगत मामले के बीच अंतर का दूसरा बिंदु यह है कि कथित निर्णय में स्कूल ने दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अपने एक छात्र को अगली उच्च कक्षा में प्रवेश देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था और उसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए और स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन इस मामले में प्रतिवादी छात्र को दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए चेन्नई के एक अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की पेशकश की गई थी।

8. हम श्री पटवालिया की दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आइए सबसे पहले उनके द्वारा किए गए दूसरे निवेदन पर ध्यान दें क्योंकि पहले बिंदु को अस्वीकार करने से पहले कुछ चर्चा की आवश्यकता होगी।

हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि शहर के किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का प्रस्ताव छात्र को उच्च कक्षा में जारी रखने की अनुमति देने के समान है। वह स्कूल जहाँ से उसने दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जिस संदर्भ में विवाद उत्पन्न होता है, उसी स्कूल का अर्थ केवल वह विद्यालय हो सकता है जहाँ से छात्र दसवीं कक्षा की सी. बी. एस. ई. परीक्षा में उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण हुआ और उसी शहर में किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के प्रस्ताव से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। वास्तुतः एक छोटे से शहर में जहां केवल एक केंद्रीय विद्यालय हो, यह व्यवस्था बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा, चेन्नई में एक और केंद्रीय विद्यालय एक युवा छात्र या छात्रा के लिए लगभग किसी भी अन्य विद्यालय की तरह उतना ही अजीब होगा। उसके पास वहाँ परिचित परिवेश, ज्ञात शिक्षक और उनके दोस्त और सहपाठी नहीं होंगे। इसके अलावा, जैसा कि हम वर्तमान में देखेंगे कि संगठन द्वारा बनाए गए प्रवेश दिशानिर्देश भी उस स्कूल के बीच के अंतर मान्यता देते हैं जहां से छात्र ने दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण की है और अन्य केंद्रीय विद्यालयों के बीच के अंतर को मान्यता दी गई है। इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि वर्तमान संदर्भ में उसी शहर के किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के प्रस्ताव की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

9. अब हम श्री पटवालिया की इस दलील पर विचार करते हैं कि पायल गुप्ता मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वह निर्णय दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के प्रावधानों पर दिया गया था। हम यहाँ यह इंगित कर सकते हैं कि श्री पटवालिया के निवेदन को स्वीकार करने से एक अजीब और अत्यधिक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। दिल्ली में एक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय दसवीं कक्षा की सी. बी. एस. ई. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अपने सभी छात्रों को उनके अंकों के प्रतिशत की परवाह किए बिना ग्यारहवीं कक्षा में शामिल करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन दिल्ली में एक केंद्रीय विद्यालय दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इस आधार पर अपने स्वयं के कुछ संस्थानों में प्रवेश से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होगा कि वे प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहे।

10. यह निवेदन कि पायल का निर्णय केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, अन्यथा भी काफी अनुचित है। यह वास्तव में सही है कि पायल गुप्ता मामला दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमों के प्रावधानों के तहत उठा, लेकिन निर्णय में कुछ टिप्पणियाँ और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सामान्य अनुप्रयोग के हैं। निर्णय के पैराग्राफ 5 में न्यायालय ने अपने विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दो प्रश्नों निम्नलिखित रूप से तैयार किया हैं:

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या एक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख के पास नियम 145 के तहत अंकों के कट-ऑफ स्तर का मानदंड निर्धारित करके प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार है और उस आधार पर अपने स्वयं के विद्यालय के छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश देने अस्वीकार किया जा सकता है, जिन्होंने दसवीं कक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कुल 50 प्रतिशत से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। एक और प्रश्न उठ सकता है कि क्या उपरोक्त स्थिति में कोई छात्र जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करता है अगली उच्च कक्षा अर्थात ग्यारहवीं कक्षा में स्वचालित पदोन्नति का हकदार होगा या यह उसी विद्यालय में अगली उच्च कक्षा में नए प्रवेश या पुनः प्रवेश का मामला होगा।"

(महत्व दिया गया)

जैसा कि देखा जा सकता है कि दूसरा प्रश्न सामान्य शब्दों में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, निर्णय के पैराग्राफ 6 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"......तथापि, यह इंगित किया जा सकता है कि यह सामान्य ज्ञान है कि एक बार किसी छात्र को नियम 135 द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदन करके किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल जाता है, तो उसे उसके बाद नए आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए एक कक्षा उत्तीर्ण करता है। एक बार जब किसी छात्र को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिया जाता है तो यह सिलसिला कक्षा दर कक्षा तब तक चलता रहता है जब तक वह विद्यालय नहीं छोड देता है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक छात्र द्वारा सार्वजनिक परीक्षा की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगली उच्च कक्षा अर्थात ग्यारहवीं कक्षा में उसका प्रवेश एक नया प्रवेश या पुनः प्रवेश होगा।"

(महत्व दिया गया)

इसके अलावा, पैराग्राफ *7* में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"............यदि किसी सार्वजनिक परीक्षा में असफल होने वाले छात्र को स्कूल या कक्षा में पुनः प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है तो यह समझ से परे है कि सार्वजनिक

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को उसी स्कूल में एक उच्च कक्षा प्रवेश से कैसे इनकार किया जा सकता है जहाँ से वे इस तरह की परीक्षा में उपस्थित हुए। ऐसा होने पर, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद एक छात्र को उसी विद्यालय में उच्च कक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार; ऐसी किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में असफल होने वाले छात्र के अधिकार से बदतर कुछ नहीं हो सकता है...............।"

पायल के वाद में, इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक कक्षा से अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति में विद्यालय में कोई नया प्रवेश या पुनः प्रवेश शामिल नहीं है और क्या परीक्षा आंतरिक है या बाहरी वैधानिक एजेंसी द्वारा सामान्य परीक्षा है, से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है।

11. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, छात्रों का स्थानांतरण/प्रवासन से संबंधित सीबीएसई उपविधि के अनुच्छेद 7.4 में निम्नानुसार प्रावधान हैः

"ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेशः - किसी विद्यालय में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश केवल ऐसे छात्र के लिए खुला होगा जो उत्तीर्ण हुआ हैः

(ए) इस बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (दसवीं कक्षा); या

(बी) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा और इस बोर्ड द्वारा इसकी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त।"

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें यह देखना मुश्किल लगता है कि अपीलार्थी इस न्यायालय के पहले के निर्णय को पायल के वाद में लागू करने से कैसे बच सकते हैं।

13. अब हम श्री पटवालिया द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बनाए गए प्रवेश के 'विनियमों और दिशानिर्देशों' के रूप में वर्णित की गई बातों का विज्ञापन कर सकते हैं। यहाँ यह कहा जाना आवश्यक है कि यद्यपि प्रावधानों को विनियम के रूप में इंगित करते हुए भी श्री पटवालिया हमें उनके लिए कोई भी वैधानिक आधार बताने में असमर्थ रहे।इसलिए पायल के वाद में विचाराधीन परिपत्र और अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए प्रावधानों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है।

14. श्री पटवालिया ने 'प्रवेश दिशानिर्देश-2007' (संलग्नक पी-1) का उल्लेख किया। दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 5 प्रवेश के तरीकों से संबंधित है और खंड" "

"प्रवेश के तरीके"

(एच) ग्यारहवीं कक्षा के प्रवेशः उसी केंद्रीय विद्यालय और उसके बाद अन्य केंद्रीय विद्यालयों के पात्र छात्रों को समायोजित करने के बाद नए प्रवेश होंगे। शेष रिक्तियों के लिए दसवीं कक्षा के बोर्ड परिणामों की योग्यता के क्रम में प्राथमिकता की श्रेणियों के आधार पर नए सिरे से प्रवेश किए जाएंगे। ग्यारहवीं कक्षा में कक्षा की संख्या से अधिक कोई प्रवेश नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय और गैर–केंद्रीय विद्यालय से प्रवेश चाहने वाले विभिन्न संकायों में प्रवेश केवल निम्नलिखित अनिवार्यताएं पूरी करने पर ही किया जाएगा–

(महत्व दिया गया)

(i) विज्ञान और वाणिज्य संकायों में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग स्थितियां होंगी। एक स्थिति यह होगी कि केंद्रीय विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के साथ-साथ अपेक्षित पात्रता के साथ केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले अन्य विद्यालयों छात्रों में से संकायों में प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध होंगे। दूसरी स्थिति वह होगी जहाँ केंद्रीय विद्यालय से दसवीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के साथ–साथ अपेक्षित पात्रता के साथ केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले अन्य विद्यालयों के छात्रों के मध्य संकायों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे। दोनों स्थितियों में प्रवेश के लिए कट–ऑफ अंक निम्नानुसार होंगे-

ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेशः

उन स्थितियों में प्रवेश का प्रावधान जहाँ पात्र बच्चे उपलब्ध हैं	उन स्थितियों में प्रवेश का प्रावधान जहाँ पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं हैं (जहाँ पात्र बच्चों का पंजीकरण 40 से कम हैं)
(क) विज्ञान संकाय	
(1) गणित के साथ विज्ञान	
(i) गणित में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक	(i) गणित में न्यूनतम 52 प्रतिशत अंक
(ii) विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और	(ii) विज्ञान में न्यूनतम 52 प्रतिशत अंक और
(iii) गणित और विज्ञान को मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक	(iii) गणित और विज्ञान में मिलाकर न्यूनतम 57 प्रतिशत अंक
(iv) सभी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक	(iv) सभी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 52 प्रतिशत अंक
(2) गणित के बिना विज्ञान	
गणित के बिना विज्ञान की अनुमति	गणित के बिना विज्ञान की अनुमति

दी जा सकती है यदि छात्रों के पास विज्ञान में 50% अंक हैं और सभी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हैं।	दी जा सकती है यदि छात्रों के पास विज्ञान में 57% अंक हैं और सभी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 52 प्रतिशत अंक हैं।
बी. वाणिज्य संकाय	XXX XXX XXX
सी. मानविकी संकाय	XXX XXX XXX

ये प्रावधान "केंद्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता" नामक एक संकलन से निकाले गए हैं संहिता लेखों के रूप में तैयार की गई है, प्रत्येक लेख अलग-अलग विषयों से संबंधित है। अध्याय 11 में अनुच्छेद 93 प्रवेश दिशानिर्देश बताता है। हमारे सामने प्रस्तुत किया गया संकलन जनवरी 2004 में मुद्रित किया गया था । 2004 के दिशा-निर्देशों में प्रासंगिक प्रावधान अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 (च) में निहित है। इन प्रावधानों को एसएलपी संक्षिप्त के साथ संलग्न 2007 के दिशानिर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वर्तमान दिशानिर्देशों में अंकों के कट ऑफ स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन उसी केंद्रीय विद्यालय से दसवीं कक्षा की सी. बी. एस. ई. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के पक्ष में स्पष्ट प्राथमिकता दी गई है। 2004 के दिशा-निर्देशों में प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार थेः

"4 (च) कक्षा नवीं- नए सिरे से प्रवेश दसवीं कक्षा के बोर्ड परिणामों में प्राथमिकताओं की श्रेणियों के अनुक्रम में योग्यता के क्रम में किए जाएंगे।

विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग स्थितियाँ होंगी।

एक स्थिति यह होगी कि केंद्रीय विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के साथ-साथ अपेक्षित पात्रता के साथ केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले अन्य विद्यालयों छात्रों में से संकायों में प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध होंगे।

दूसरी स्थिति वह होगी जहाँ केंद्रीय विद्यालय से दसवीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के साथ–साथ अपेक्षित पात्रता के साथ केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले अन्य विद्यालयों के छात्रों के मध्य संकायों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे। दोनों स्थितियों में प्रवेश के लिए कट–ऑफ अंक निम्नानुसार होंगे......"

15. 2004 और 2007 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय के अपने छात्रों के पक्ष में कोई भी प्राथमिकता जो पहले मानी जासकती थी, अब स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है, लेकिन केवल

इतनाही, जैसा कि हम वर्तमान मामले में देखते हैं, स्कूल को अपने ही छात्रों में से एक को इस आधार पर प्रवेश देने से इंकार करने से नहीं रोकता है कि वह दसवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहा था।

16. किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि किसी एक छात्र के लिए उपयुक्त संकाय/पाठ्यक्रम के चयन के लिए उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाएं, जैसा कि दसवीं कक्षा के अंकों से पता चलता है जहाँ एक से अधिक संकाय हैं, लेकिन किसी छात्र को स्कूल से बाहर निकालना काफी अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि वह दसवीं कक्षा की परीक्षा की कट ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहा। अंततः स्कूल को अपने छात्र के खराब प्रदर्शन के लिए कम से कम कुछ जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए और अगली उच्च कक्षा में बेहतर करने की कोशिश करने में उसकी मदद करनी चाहिए। स्कूल निश्चित रूप से उसे वह संकाय/पाठ्यक्रम दे सकता है जो निर्धारित कट ऑफ अंकों के आधार पर उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत हो सकता है।

17. वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के लिए यह अवसर पूरी तरह से तब खुला होता कि छात्र सौरभ चौधरी को अंकों के निर्धारित कट ऑफ स्तर के आधार पर गणित के साथ विज्ञान संकाय के अलावा अन्य

संकायों/पाठ्यक्रमों में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश दे सकते थे, यदि ऐसे पाठ्यक्रम केंद्रीय विद्यालय नं. 2, ए. एफ. एस., तांबरम में उपलब्ध होते । लेकिन इस विद्यालय में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए गणित के साथ केवल विज्ञान संकाय है। पायल के निर्णय में विद्यालय को एक छात्र को प्रवेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि वह ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश अंकों का कट ऑफ स्तर प्राप्त करने में विफल रहा। इस आकस्मिक परिस्थिति के परिणामस्वरूप छात्र को केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 एएफएस, तांब्रम में 11वीं कक्षा में गणित के साथ विज्ञान संकाय में प्रवेश मिलना चाहिए।

18. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हस्तगत पायल के मामले में न्यायालय के पूर्व के निर्णय द्वारा पूरी तरह से अपास्त होता है। श्री पटवालिया ने ने जिन तीन उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया, वे पायल के वाद में निर्णय के विपरीत जाते हैं, इसलिए वे सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं। अपील के तहत आने वाला मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय मामले का सही दृष्टिकोण रखता है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. परिणामस्वरूप खर्चे के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री दिलीप कुमार सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण – यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

अनुवादकर्ता

(दिलीप कुमार सैनी)

RJO1111